

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी

रामचरण शर्मा (आरएस)

प्रकरण संख्या- 4/17

राजस्थान सरकार जर्ज्य पुलिस अधीक्षक झालावाड़

बनाम

बबलू उर्फ मिथलेश आ० कन्हैयालाल जाति कहार निवासी मनोहरस्थाना

अन्तर्गत राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3

निर्णय

दिनांक 24.01.2019



थानाधिकारी मनोहरस्थाना के द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के माध्यम से इस न्यायालय में गैर सायल बबलू उर्फ मिथलेश आ० कन्हैयालाल जाति कहार निवासी मनोहरस्थान के विरुद्ध जर्ज्य सहायक लोक अभियोजक झालावाड़ इस आशय का पेश किया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गैर सायल निरंतर शरीर संबंधी व सम्पत्ति संबंधी अपराध की घटनाएँ करित कर रहा है तथा कई प्रकरणों में सजायाब रहकर सजा भुगत चुका है। परन्तु समस्त प्रयासों के बावजूद भी गैर सायल जेल से बाहर आते ही भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 12,16 व 17 में वर्णित अपराध करना शुरू कर देता है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त गैर सायल को 5 वर्षों के अन्दर 4 प्रकरणों में दोषी करार देकर कठोर कारावास, साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरुद्ध समाज के आम नागरिक भी रिपोर्ट लिखवाने अथवा गवाही देने से कतराते हैं, इसका भय समाज में व्याप्त है, गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के तहत कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

गैर सायल के विरुद्ध इस्तगासे में अंकित निम्न अपराध दर्ज करना, सजायापत होना थानाधिकारी के द्वारा अंकित किया है:-

क्र०स०	प्रकरण संख्या	धारा	सजा
1	254/21.11.99	457,380 भा०द०स०	दो वर्ष का कठोर कारावास व 300रु० के अर्थदण्ड से सजायापत किया गया।
2	13/26.01.2000	457,380भा०द०स०	तीन वर्ष का कठोर कारावास व 1000रु० के अर्थदण्ड से सजायापत किया गया।

अति० कलक्टर एम्ब
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

(1)

१.१-०.

(2)

3	104/04.04. 2005	379 भा0द0स0 6/मत्स्य अधि.	एक दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
4	144/20.10.06	457,380 भा0द0स0	चार माह का कारावास व 100/- जुर्माने से दण्डित किया गया ।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जैर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि उक्त समस्त प्रकरण 1999 से 2006 के मध्य के है जिनका निस्तारण हो चुका है, प्रार्थी आदतन अपराधी नहीं है, प्रार्थी निस्वार्थ अपना कर्म कर अपना जीवन यापन कर रहा है एवं परिवार का मुखिया होने के कारण जिम्मेदारी से परिवार का भरण-पोषण कर रहा है, प्रार्थी के विरुद्ध चल रही कार्यवाही न्यायहित में माफ फरमाई जावे। दौरान बहस गैर सायल अनुपस्थित रहा। अतः प्रकरण प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुवे पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन एवं परीक्षण के पश्चात गैर सायल, राजस्थान आभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) में परिभाषित अनुसार आभ्यासिक अपराधी की श्रेणी में आना प्रकट होता है। गैर सायल के विरुद्ध जिला झालावाड़ के थानो में 10 प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान प्रेश हो चुका है जिनमें से चार प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुए जिनमें गैर सायल को दोषसिद्ध किया जाकर कठोर/साधारण कारावास एवं जुर्मान से दण्डित किया गया है। ऐसी दशा में गैर सायल राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) में परिभाषित आभ्यासित अपराधी साबित होता है।

अतः राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3 के तहत गैर सायल का नाम उक्त अधिनियम द्वारा विहित रजिस्टर में आभ्यासित अपराधी के रूप में दर्ज करने एवं गैर सायल के अंगुली एवं हथेली-विहन, पद चिहन एवं फोटोग्राफ आदि लिए जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेशित किया जाता है। साथ ही गैर सायल उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत, अपने सामान्य निवास के परिवर्तन की सूचना भी संबंधित थानाधिकारी को अनिवार्य रूप से देने हेतु आबद्ध रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.01.19 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
(राज.)